बी.ए. द्वितीय वर्ष
प्रथम प्रश्न-पत्र

– डॉ. कृष्ण शंकर यादव

अरस्तू का राज्य सिद्धान्त

→ अरस्तू (पाश्चात्य) ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना, जिसका जन्म नहीं, अपितु विकास हुआ है।

– राज्य का उद्गम मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और वह इसलिए बराबर विद्यमान रहता है कि जिससे उनका जीवन नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ और उच्चतम हो सके।

– राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन है। यह समाज का सर्वोच्च रूप है और सर्वोच्च हित

– इसका उद्देश्य है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन या इकाई है।

– मानव की उच्चतम शक्तियों (विवेक, भाषण-शक्ति आदि) का विकास राज्य में ही हो सकता है। सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति ही राज्य का लक्ष्य है।

– राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के कारण हुई है और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है।

– राज्य सिर्फ समुदायों का समुदाय ही नहीं बल्कि वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च

– समुदाय भी है। राज्य एक सम्पूर्ण सावयव (organic whole) है।

– समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परन्तु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अतः राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है।

– अरस्तू के अनुसार नगर-राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है।

⇒ **राज्य का उद्देश्य एवं कार्य** :– मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए किये जाने वाले सभी आवश्यक कार्यों को राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। अर्थात् राज्य का कार्य एक सकारात्मक अच्छाई है।

– इसका कार्य केवल बुरे कार्यों अथवा अपराधों को रोकना ही नहीं, बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाकर श्रेष्ठ बनाना है।

– पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्ट करना। मनुष्यों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिससे वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें।